

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प्रशि / मस्वाका / 2019-20 / 2019 /

दिनांक

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
 अजमेर / भीलवाडा / नागौर / बीकानेर / चुरू /  
 श्रीगगानगर / हनुमानगढ / धौलपुर / करौली /  
 सवाईमाधोपुर / जयपुर-प्रथम / अलवर / सीकर /  
 झुन्झुनू / कोटा / बारा / झालावाड / उदयपुर /  
 डूंगरपुर / जोधपुर / बाडमेर / सिरोही /  
 जालौर / प्रतापगढ (राज0)

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2019-20 हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना  
 भिजवाने बाबत निर्देश।

प्रसंग : निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक प्रशि./मस्वाका./2019-20/571 दिनांक : 24.09.2019  
 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्तमान सत्र में राज्य के अति पिछडा वर्ग (MBC) को उक्त प्रशिक्षण में पाच प्रतिशत आरक्षण देय है। इस सबध में आवेदनकर्ताओं द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ उक्त जाति वर्ग का लाभ लेने के लिए अति पिछडा वर्ग (MBC) के स्थान पर अन्य पिछडे वर्ग का प्रमाण पत्र सलग्न किये जाने पर इन अभ्यर्थियों जो अति पिछडा वर्ग (MBC) की श्रेणी में आते हैं, को इस जाति वर्ग का लाभ दिये जाने के सबध में मार्गदर्शन चाहे जाने के सबध में इस निदेशालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा परिपत्र जारी किया गया था।

इस सबध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11(125) एम बी सी / आर एण्ड पी / सान्यअवि / 2012 / 36546 दिनांक 21.06.2019 की प्रति पत्र के साथ सलग्न कर भिजवायी जा रही है, के अनुसार सभी एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारियों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय विज्ञप्ति क्रमांक 385-386 दिनांक 12.07.2019 की एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त परिपत्र की अक्षरशः अध्ययन एवं अवलोकन करते हुए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2019-20 हेतु आयोजित ऑफलाईन काउंसलिंग को संपादित करवाना सुनिश्चित करें।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर

दिनांक 21/10/19

क्रमांक प्रशि / मस्वाका. / 2019-20 / 2019 / 656

प्रतिलिपि -- प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को सबधितों को मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 में अपलोड करने का श्रम करें।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर

क्रमांक : एफ.11(125)एम.बी.सी./आर.एण्डपी./सान्याअवि/2012/36546

जयपुर, दिनांक 21-6-19


परिपत्र

राज्य सरकार के राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 2/2019) एवं समय-समय पर इस संबंध में जारी परिपत्रों की अनुपालना में राज्य में अति पिछड़ा वर्ग को अर्थात् पांच जातियों यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी, देबासी 5. गडरिया (गाडरी), गायरी को शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण दिया जाना है।

इस हेतु उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।


राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में नियमानुसार अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त पांच जातियों के अभ्यर्थियों को कतिपय विभागों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तथा राज्य के विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिये जाने में संशय की स्थिति है। इस क्रम में पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा संशोधित परिपत्र क्रमांक 15633 दिनांक 27.02.2018 जारी किया गया था (प्रति संलग्न)।

इस संबंध में पुनः यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारी जाति प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग लाभ के लिये आवेदन किया गया हो, को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा।

  
(अखिल अरोरा)  
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ.11(125)एम.बी.सी./आर.एण्डपी./सान्याअवि/2012/36547-67 जयपुर, दिनांक : 21-6-19  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
11. सचिव, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, .....
14. समस्त जिला कलक्टर, .....
15. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, .....
16. सचिव समस्त आयोग/बोर्ड
17. ए.सी.पी., मुख्यावास, सान्याअवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त संबंधित को ई-मेल करने बाबत।
18. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास।
19. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
20. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
21. गार्ड फाईल।

  
(सांवर मल खर्मा) IS  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजस्थान राजीव गांधी शैक्षणिक संस्था, जयपुर  
क्रमांक एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/सान्याअवि/2012/ 15633

जयपुर दिनांक 22/02/18

संशोधित परिपत्र

राज्य सरकार के समसख्यक परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23/02/2018 के अनुक्रम में विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(48)/विधि/2/2017 जयपुर दिनांक 17/11/2017 में वर्णित राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) आरक्षण अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 38/2017) (यथा संशोधित) की धारा 2 डी एव एफ में अति पिछड़ा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अन्तर्गत पांच जातियों यथा 1 बंजारा, बालदिया, लबाना 2 गाडिया लोहार, गाडोलिया 3 गुजर, गुर्जर 4 राईका, रेबारी देबासी 5 गडरिया (गाडरी), गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)डीओपी/ए-2/2017 दिनांक 21/12/2017 तथा आदेश क्रमांक प.7 (1)कार्मिक/क-2/2017 जयपुर दिनांक 29/01/2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग की उपरोक्त जातियों को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उभय अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

(जे.सी. महान्ति)  
अतिरिक्त/मुख्य सचिव

जयपुर दिनांक

क्रमांक एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/सान्याअवि/2012/ 15634-79 प्रतििलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 5) विशिष्ट सहायक, समस्त मन्त्रीगण/ राज्य मन्त्रीगण राजस्थान सरकार, जयपुर
- 6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, जयपुर
- 10) सचिव राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर, राज0
- 11) सदस्य सचिव राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर, राज0
- 12) समस्त सभागीय आयुक्त ...
- 13) समस्त जिला कलेक्टर ...
- 14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक
- 15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.
- 16) ए.सी.पी मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त संबधित को ई-मेल करने बाबत
- 17) समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास/उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- 18) गार्ड फाईल।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव